



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा की। राज्यपाल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह शिफ्टाचार भेंट थी।

‘पहले साल में 47 प्रधान खनिज ब्लॉक नीलाम कर देश में पहला स्थान’

मुख्यमंत्री ने खान विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लक्ष्य बनाकर काम करने को कहा

जयपुर, 2 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं तथा लगभग 30 लाख लोगों को खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। राज्य के राजस्व में भी खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज सम्पदा का समुचित दोहन हो तथा इस क्षेत्र में राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग खनन खोज कार्य में तेजी लाते हुए, नये खनन क्षेत्रों की पहचान करे तथा नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा, यह बेहद हर्ष का विषय है कि वर्तमान सरकार ने अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में ही 47 प्रधान

मुख्यमंत्री ने कहा, पिछली सरकार ने 5 साल में 34 प्रधान खनिज ब्लॉक नीलाम किये थे, यह सरकार एक वर्ष में 47 ब्लॉक नीलाम कर चुकी है। इसी प्रकार पिछली सरकार ने अप्रधान, खनिज के 5 साल में 286 प्लॉट नीलाम किये, जबकि, यह सरकार एक वर्ष में 426 प्लॉट्स नीलाम कर चुकी है।

समीक्षा बैठक में प्रमुख शासन सचिव खान व पेट्रोलियम टी. रविकांत ने प्रस्तुतिकरण देकर विभाग के कार्यक्रमों, नवाचारों व योजनाओं की जानकारी दी।

खनिज ब्लॉक नीलाम कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि गत सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 34 ब्लॉक ही नीलाम किये थे। उन्होंने कहा कि इसी तरह, वर्तमान सरकार ने प्रथम वर्ष में अप्रधान खनिज के कार्यकाल में मात्र 282 प्लॉट्स ही नीलामी की है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में मात्र 282 प्लॉट्स ही नीलाम हुए थे। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार खनन से राज्य के राजस्व को

सावित होगी। उन्होंने कहा कि नई एम-सेण्ड नीति से प्रदेश में एम-सेण्ड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में खनिज ब्लॉक की नीलामी की प्रगति, डी.एम.एफ.टी. मद से प्राप्त राशि के सही उपयोग की गाइडलाइन, विभागीय भर्तियां, सिरैमिक एवं रेयर मेटल के सेक्टर ऑफ एक्सप्लोरेशन की प्रगति, भारत सरकार के स्तर पर लॉन्ग मुद्दे सहित, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से खान विभाग के कार्यक्रमों, नवाचारों एवं योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव सुधाश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता सहित, विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

सरकारी कर्मचारी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अदालत राज्य सरकार के दिन-प्रतिदिन के तबादला आदेश में दखल देगी तो जनहित में होने वाले काम अटक जाएंगे। इसके साथ ही, अदालत ने राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के असीस्टेंट प्रोफेसरों की ओर से तबादला आदेश को खारिज कर दिया है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है। अदालत ने कहा कि यदि वे इन पदों पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो कृषि विवि उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही कर सकता है। जस्टिस समीर जैन की एकलपिठ ने यह आदेश राजेंद्र सिंह व अन्य को याचिकाओं पर दिए। अदालत ने कहा कि स्वायत्तशासी संस्था होने के चलते कृषि विवि विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों की परिभाषा में नहीं आते हैं। राज्य सरकार इनके विच मामलों में ही सीमित भूमिका रखती है। ऐसे में राज्य सरकार के तबादला संबंधी आदेश उन पर लागू नहीं होते हैं।

याचिका में कहा गया कि

याचिकाकर्ता कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में कोट विज्ञान के सहायक प्रोफेसर पद पर अक्टूबर, 2020 से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 4 जनवरी, 2023 को अधिसूचना जारी कर सभी विभागों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का तबादला करने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद, याचिकाकर्ताओं का यथा से तबादला कर दिया। इसके अलावा, नियमानुसार पांच साल के कार्यकाल से पहले उनका तबादला नहीं किया जा सकता। इसका विरोध करते हुए, कृषि विवि के अधिवक्ता हिमांशु ठोसिया ने बताया कि विवि स्वायत्तशासी संस्था है और राज्य सरकार हाल ही में पत्र जारी कर स्पष्ट कर चुकी है कि तबादलों पर रोक का आदेश विवि पर लागू नहीं होता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता विवि में विभिन्न पदों पर करीब तीन दशकों से काम कर रहे हैं। ऐसे में कुलपति को उनका तबादला करने का पूरा अधिकार है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

अकाल तख्त ने प्रकाश सिंह बादल को दोषी माना, खिताब रद्द

चंडीगढ़, 02 दिसंबर। सर्वोच्च सिख धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक रहे दिवंगत प्रकाश सिंह बादल का 'फ़ख्र-ए-कौम पथ रत्न' खिताब रद्द करने की घोषणा की। संस्था का कहना था कि बादल सिरसा डेरा प्रमुख गुरुमति सिंह राम रहीम को माफी देने के प्रकरण में भी संलिप्त रहे थे। अकाल तख्त जल्येदार ज्ञानी रघवीर सिंह और अन्य ने इसी के साथ शिरोमणि अकाली दल की कोर्ट कमेटी को पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे को स्वीकार करने का निर्देश दिया। अकाल तख्त सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित कर चुका था और सोमवार को अकाली नेताओं को सजा सुनाई जा रही थी। अकाल तख्त ने अकाली नेताओं को दरबार साहिब परिसर में बाधरूम सफाई, बर्तन साफ करने और श्रद्धालुओं के जुते साफ करने व गुरद्वारे में कीर्तन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है।

‘हर मतदान केन्द्र पर वोटर्स की संख्या कैसे बढ़ी?’

नयी दिल्ली, 02 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के चुनाव आयोग के फैसले पर उससे सोमवार को स्पष्टीकरण मांगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने इंदु प्रकाश सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह से कई सवाल पूछे। पीठ ने मनिंदर सिंह से पूछा कि अगर किसी मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाता पहुंच जाएं तो स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। इस पर सिंह ने कहा कि ऐसा निर्णय लेने से पहले सभी राजनीतिक दलों से परामर्श किया जाता है। पीठ ने यह भी पूछा कि एक मतदान केंद्र में कई मतदान केंद्र हो सकते हैं, इसलिए क्या यह नीति एक मतदान केंद्र पर भी लागू होगी।

श्रीष अदालत ने चुनाव आयोग से एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने के निर्देश देते हुए याचिका पर आगामी सुनवाई के लिए 17 जनवरी 2025 की

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि हर बूथ पर वोटर्स की संख्या 1200 से बढ़कर 1500 कैसे हो गई

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने चुनाव आयोग को इस पर एक लघु शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में मांग की गई है कि 1957 से 2016 तक सभी पोलिंग बूथ पर 1200 वोटर्स की संख्या का नियम पालन हो रहा था पर एकाएक यह संख्या बढ़ा दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 17 जनवरी 2025 की तारीख दी है।

तारीख मुकर्र कर दी।

इससे पहले 27 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया था कि मतदाताओं की संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने से वंचित समूह

चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति को वोट डालने में अधिक समय लगेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मतदान केंद्र पर लंबी कतारों और लंबी प्रतीक्षा अवधि मतदाताओं को वोट डालने से रोकेंगी। उन्होंने दावा किया

वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने ढील देने से इंकार किया

नयी दिल्ली, 02 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार करते हुए, सोमवार को कहा कि संबंधित आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही वह पांच दिसंबर को कोई छूट देने पर विचार करेंगे।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सी.ए.क्यू.एम.) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती की ढील देने की गुहार अस्वीकार करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में लगाए गए ग्रेडेड एक्शन रिसपास प्लान (जी.आर.ए.पी.) स्टेज-4 के तहत, तमाम प्रतिबंध फिलहाल लागू रहेंगे।

पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को भी संभल जाने से रोका

कांग्रेस नेताओं ने कहा, उन्हें रोककर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है

लखनऊ, 02 दिसंबर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने सोमवार को संभल जाने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने जिला प्रशासन द्वारा दस दिसंबर तक लगायी गयी रोक का हवाला देते हुए उन्हे जाने की अनुमति नहीं दी। गौरतलब है कि अदालत के आदेश पर जा मस्जिद में भारतीय गुप्तचर संवैक्षण (ए.एस.आई.) के सर्वे के दौरान पिछले दिनों संभल में भड़की हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गयी थी। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वह मृतक के

परिजनों को ढाढस बंधाने के लिये जा रहे थे, मगर तानाशाही सरकार के इशारे पर पुलिस ने उन्हे जाने की अनुमति नहीं देकर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि एक तरफ सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रही और दूसरी तरफ तानाशाही रवैया अपनाते हुए कांग्रेस नेताओं को मृतकों के परिजनों से मिलकर संवेदन व्यक्त करने जाने से रोकने के लिए एर अलोकतांत्रिक हथकंडा अपना रही है। उन्होंने कहा कि

कांग्रेस का संवैधानिक अधिकार है कि वह जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं और मुद्दों को सुने और सदन में उठाये। मगर योगी सरकार को इस बात का भय है कि कांग्रेस नेताओं के संभल जाने से सच बाहर आ जायेगा और वह बेनकाब हो जायेगी। राय ने कहा कि 24 नवंबर की घटना के बाद कांग्रेस ने यह एलान किया था कि हम पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आगामी दो दिसंबर को संभल जायेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा 30 नवंबर तक विपक्षी नेताओं के संभल जाने पर रोक लगा दी गयी थी।